राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,
आई0टी0 शाखा, मुख्यालय,जयपुर–302012
टेलीफोन नं. – 0141–2360254, ई–मेल – dgmit.rsrtc@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ–3/मुख्या./आई.टी./24/827 दिनांक :– 14/10/2024

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

आयुक्त,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– विभागीय वेबसाईट पर लिंक उपलब्ध करवाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदित निःशुल्क/रियायती श्रेणियों के लगभग 54 प्रकार के आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड जारी किये जा रहे हैं। जिसमें मुख्यतः वरिष्ठ नागरिक/दिव्यांगजन तथा विद्यार्थी श्रेणियां शामिल हैं। वरिष्ठ नागरिकों को निगम की सभी श्रेणियों की वाहनों में 50 प्रतिशत रियायती दर (राजस्थान सीमा तक), दिव्यांगजनों को साधारण/द्रुतगामी बसों में 100 प्रतिशत निःशुल्क (जहाँ तक निगम वाहनें संचालित है) तथा सरकारी विद्यालय/महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को परिचय पत्र के आधार पर 75 कि0मी0 की परिधि में 50 प्रतिशत रियायती दर पर यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है।

वर्तमान में सभी पात्र नागरिकों/विद्यार्थियों को यह सुविधा आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड के आधार पर निगम वाहनों में देय है। इस यात्रा सुविधा का लाभ लेने के लिए निगम द्वारा आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड आवेदन प्रकिया को पूर्णतयाः ऑनलाईन कर दिया गया है। पात्र नागरिक/विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक https://rsrtcrfidsystem.co.in/SelfService/SelfLogin.aspx, गूगल प्ले स्टोर से RSRTC RFID Smart Card App एवं ई–मित्र कियोस्क पर आवेदन कर घर बैठे ही स्पीड–पोस्ट के माध्यम से आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त कम में निवेदन है कि अधिक से अधिक लाभार्थी आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड सुविधा का लाभ लेकर निगम वाहनों में यात्रा कर सकें इसके लिए आपके विभाग की वेबसाईट पर निगम आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड के पोर्टल का लिंक https://rsrtcrfidsystem.co.in/SelfService/SelfLogin.aspx उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :– एफ–3/मुख्या./आई.टी./24/827 दिनांक :– 14/10/2024

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, रापनि, मुख्यालय जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, मुख्यालय जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रीमान कार्यकारी निदेशक (यातायात), रापनि, मुख्यालय जयपुर।
4. रक्षित/निजी पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (याता0)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः— F7(4)vividh/Acad/CCE/2022/Part-00787

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः—महाविद्यालय वेबसाईट पर निगम आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड के पोर्टल का लिंक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः—प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर का पत्रांक एफ—3 / मुख्या. / आई.टी. / 24 / 827 दिनांक 14.10.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों के अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थी आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड सुविधा का लाभ लेकर निगम वाहनों में यात्रा कर सकें इसके लिए अपने महाविद्यालय की वेबसाईट पर निगम आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड के पोर्टल का लिंक https://rsrtcrfidsystem.co.in/SelfService/SelfLogin.aspx उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक, (अकादमिक)

प्रतिलिपि —

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
4. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय सम्बन्धित को अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक, (अकादमिक)

Signature valid

Digitally signed by Vijay Singh Jat
Designation: Joint Director
Date: 2024.10.22 [illegible]:34:22 IST
Reason: Approved